न्यायालय

सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी

गुढामालानी–बाड़मेर

(पीठासीन अधिकारी –केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

वाद संख्याः–2021/230 दर्ज तिथिः–23.09.2021

1. भूरचंद पुत्र खीमराज
   जाति ओसवाल निवासी गुड़ामालानी तहसील गुड़ामालानी–बाड़मेर

......................वादी

बनाम

1. चेनाराम पुत्र सिमरथाराम
   जाति भील निवासी सूजान नगर तहसील बाड़मेर जिला बाड़मेर
2. बाबूलाल पुत्र आम्बाराम
   निवासी बूल तहसील धोरीमना–बाड़मेर
3. राजूराम पुत्र टीकमाराम
4. रमेश पुत्र टीकमाराम
   जाति भील निवासी सुथारो की ढाणी तहसील धोरीमना–बाड़मेर

................असल प्रतिवादीगण

5. तहसीलदार गुड़ामालानी–बाड़मेर।

..........................तकमीली प्रतिवादीगण

उपस्थित अधिवक्ता
वादीः– श्री पूनमाराम विश्नोई
प्रतिवादीगणः–एकतरफा

वादपत्र अन्तर्गत धारा–188
राजस्थान काश्तकारी अधि.–1955

–:निर्णयः–

निर्णय तिथिः–20.03.2025

1. आज यह पत्रावली राजस्व वाद अन्तर्गत धारा–188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 वास्ते निर्णय पेश हुई। प्रकरण का सुक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से है कि वादी द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 188 के अन्तर्गत एक राजस्व वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि वादी की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 14/9/0.1052 है0 वाके ग्राम सीलू तहसील गुड़ामालानी में अवस्थित हैं। वादी की उक्त खातेदारी आराजी के उत्तर–पश्चिम पड़ौस में प्रतिवादीगण की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 10/54, 10/55, 10/20, 10/21, 10/23, 10/24 वाके ग्राम सीलू तहसील गुड़ामालानी अवस्थित हैं। प्रतिवादीगण वादी की खातेदारी भूमि की पुरानी माठों को तोडकर जबरन कब्जा करने पर आमादा हैं। प्रतिवादीगण वादी की खातेदारी भूमि पर अपना अनाधिकृत कब्जा वादी के कब्जे काश्त की भूमि को अपनी भूमि बताकर अवैध कब्जा करना चाहते है तथा वादी की खातेदारी भूमि पर निर्माण कार्य करने पर आमादा है। यदि प्रतिवादीगण अपने मकसद में कामयाब हो जाते हैं तो वादी

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.03.26 20:46:48 IST
Reason: SelfAttested

को अपूरणीय क्षति होगी। इस कारण वादीगण द्वारा वादीगण की खातेदारी आराजी कीसुरक्षार्थ प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष प्राप्त करने हेतु दावा प्रस्तुत किया गया है। अंत में वादीगण ने वादीगण की खातेदारी आराजी के सम्बन्ध में प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष स्वीकार कर दावा डिक्री करने का निवेदन किया।

2. दावा पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 2 से 4 जरिये अधिवक्तागण हाजिर न्यायालय हुए तथा वादी के वाद पत्र का जबाव मय प्रतिपवाद पेश कर निवेदन किया कि प्रतिवादी संख्या 2 गरीब भील है। जिनका खेत खसरा संख्या 10/54/1.05 बीघा, प्रतिवादी संख्या 3 का खसरा संख्या 10/20/1.05 बीघा तथा प्रतिवादी संख्या 4 का खसरा संख्या 10/55/1.05 बीघा तथा प्रतिवादी संख्या 2 से 4 की आराजी के पूर्व की तरफ सडक व प्रतिवादी के मध्य वादी का खेत खसरा संख्या 14/9 रकबा 13 बिस्वा तथा दक्षिण की तरफ वादी के सहयोगी जबरसिंह का खसरा संख्या 14/2 रकबा 0.13 बीघा का आया हुआ है। वादी व जबरसिंह दोनों ही भूमि खरीद फरोख्त का काम करते हैं तथा गरीब लोगों की भूमि में विवाद डालकर सस्ते दामों में खरीद का हर सम्भव प्रयास करते हैं। इसी कडी में प्रतिवादी की भूमि हडपने के लिये प्रतिवादी व वादी तथा प्रतिवादी व जबरसिंह के मध्य सेढे को कायम नहीं कर बार–बार दखलंअदाजी करते हैं। पुलिस थाना गुडामालानी में मुकदमा होने पर जांच अधिकारी ने तहसीलदार गुढामालानी को सीमाज्ञान का कहने पर तहसीलदार ने टीम गठित कर दिनांक 01.02.2022 को 10 बजे दोनों पक्षों को मौके पर उपस्थित होने का नोटिस दिया तो वादी ने उक्त वाद श्रीमान के न्यायालय में पेश कर दिनांक 14.01.2022 को एकतरफा स्थगन जारी करवाकर उक्त सीमाज्ञान को स्थगन की आड़ में रूकबा दिया गया। अतः काउण्टर क्लेम पेश कर निवेदन है कि वादी व प्रतिवादीगण की आराजी की सीमा तय कर उनके पश्चात वादी व प्रतिवादीगण की भूमि के समबन्ध में दखल अंदाजी नहीं करने हेतु दोनों पक्षों को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे। प्रकरण में प्रतिवादीगण द्वारा जबाव मय प्रतिवाद पेश करने के पश्चात तनकीयात कायम की जाकर पत्रावली वादीगण साक्ष्य में रखी गई।

3. वादी द्वारा प्रकरण में निम्न दस्तावेजी साक्ष्य व प्रदर्श प्रस्तुत किए गएः–

प्रदर्श	दस्तावेज	दिनांक/सम्वंत
1.	खाता संख्या 68 जमाबंदी वाके ग्राम सीलू तहसील गुड़ामालानी	अंतिम चौसाला आधार सम्वत 2074–77 जमाबंदी सम्वत 2078 (वर्ष 2021)
2.	खाता संख्या 68 राजस्व नक्शा वाके ग्राम सीलू तहसील गुड़ामालानी	सम्वत 2078 (वर्ष 2021)
3.	जमाबंदी खाता संख्या 41 वाके ग्राम सीलू तहसील गुड़ामालानी	सम्वत 2070–2073

4. प्रकरण में वादीगण द्वारा निम्न गवाह साक्ष्य प्रस्तुत किए गए, जिनकी चीफ करवाकर बयाान लेखबद्ध किए जाकर शामिल पत्रावली किए गएः–

क्र.स.	[illegible]	निवासी
पी. डब्ल्यू.–1	भूरचन्द पुत्र [illegible]राम जाति ओसवाल	[illegible]डामालानी तहसील गुड़ामालानी

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.03.26 20:46:48 IST
Reason: SelfAttested

5. प्रकरण में दिनांक 01.07.2024 को प्रतिवादीगण व प्रतिवादीगण के अधिवक्ता के अनुपस्थित रहने से प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।प्रकरण में वादी अधिवक्ता की एकतरफा बहस सुनी गई। वादी अधिवक्ता ने वाद पत्र के कथनों को दोहराते हुए वादी की विवादित आराजी की सुरक्षार्थ प्रतिवादीगण के विरूद्ध वादवर्णित अनुतोष मुताबिक स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष स्वीकार कर दावा डिक्री किया जावे।

6. प्रकरण में पत्रावली का अवलोकन किया गया। बहस पर मनन किया गया।प्रकरण में मुख्य अनुतोष प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी करने से संबंधित है। प्रकरण में वादी के अनुतोष के विवेचन हेतु तथ्यों का गहन विश्लेषण से पूर्व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 की धारा—188 का उद्धरण यहॉ प्रतीत होता है। जो कि निम्न प्रकार हैः—

> ***188. Injunction against wrongful ejectment—***
> *(1) Any tenant whose right to or enjoyment of the whole or a part of his holding is invaded or threatened to be invaded by his landholder or any other person may bring a suit for the grant of a perpetual injunction.*
> *(2) The court may after making the necessary enquiry grant a perpetual injunction in the following cases, namely-*
> *(a) if there exist no standard for ascertaining the actual damage caused or likely to be caused by the invasion;*
> *(b) if the invasion is such that pecuniary compensation does not afford adequate relief;*
> *(c) where it is probable that pecuniary compensation cannot be got for the invasion.*
> *(d) where the injunction is necessary to prevent a multiplicity of proceedings.*

6. उक्त राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 की धारा—188 के अवलोकन से स्पष्ट है कि धारा—188 के अन्तर्गत किसी खातेदारी आराजी पर खातेदारी अधिकारो की आमदरफत में किसी प्रकार का व्यवधान/अतिक्रमण किया जा रहा हो/किया जाने वाला हो उस स्थिति में व्यवधान उत्पन्न/अतिक्रमण करने वाले व्यक्ति को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किए जाने के प्रावधान बनाए गए है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 की धारा—188 की उपधारा—2 में स्थाई निषेधाज्ञा जारी किए जाने हेतु निम्न चार परिस्थितियां बताई गई हैः—

परिस्थिति	विवरण
1.	जब हो रहे/होने वाले संभावित अतिक्रमण/व्यवधान/घुसपैठ से होने वाले नुकसान के आंकलन हेतु कोई मानक/मापदण्ड अस्तित्व में नहीं हो।
2.	जब अतिक्रमण/व्यवधान/घुसपैठ इस प्रकार का हो कि नुकसान की आर्थिक भरपाई/क्षतिपूर्ति पर्याप्त राहत/संतुष्टि प्रदान नहीं करता हो।
3.	जब इस तथ्य की संभावना हो कि अतिक्रमण/व्यवधान/घुसपैठ से होने वाले नुकसान की आर्थिक भरपाई/क्षतिपूर्ति की प्रदानगी संभव नहीं होगी।
4.	जब निषेधाज्ञा राजस्व विवादों की बहुलता को रोकने हेतु आवश्यक हो।

7. उक्त विधिक प्रावधानों के परिप्रेक्ष्य में प्रकरण का विश्लेषण किया जाना आवश्यक है। वादी का यह कथन है कि उक्त आराजी पर प्रतिवादीगण द्वारा जबरन कब्जा कर उसके उपयोग व उपभोग में व्यवधान किया जाता है या उस पर निर्माण किया जाता है तो वादीगण को स्पष्ट रूप से अपूरणीय क्षति होना संभावित है। वादीगण का

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.03.26 20:46:48 IST
Reason: SelfAttested

उक्त कथन स्वतः साबित है क्योंकि प्रतिवादी का मुताबिक रिकॉर्ड उक्त आराजी से कोई संबंध व सरोकार होना साबित नहीं है।

8. उक्त प्रकार से स्पष्ट है कि उक्त खातेदारी आराजी वादीगण की निजी खातेदारी आराजी है तथा प्रतिवादीगण का उक्त वादीगण की खातेदारी आराजी से कोई संबंध सरोकार नहीं है। इसी प्रकार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 की धारा—188 की उपधारा—2 में स्थाई निषेधाज्ञा जारी किए जाने हेतु निम्न चार परिस्थितियां बताई गई हैः—

परिस्थिति	विवरण	विश्लेषण
1.	जब हो रहे/होने वाले संभावित अतिक्रमण/व्यवधान /घुसपैठ से होने वाले नुकसान के आंकलन हेतु कोई मानक/मापदण्ड अस्तित्व में नहीं हो।	1. प्रकरण में वादीगण की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 14/9/0.1052 है0 वाके ग्राम सीलू पर वादीगण के खातेदारी अधिकारों की आमदरफत में व्यवधान उत्पन्न नहीं करने हेतु प्रतिवादीगण को पाबंद नहीं किया जाता है तो भविष्य में वादीगण की निजी खातेदारी आराजी परखातेदारी अधिकारों की आमदरफत में प्रतिवादीगण द्वारा व्यवधान उत्पन्न करने से वादीगण को होने वाले कई प्रकार के प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष नुकसान की क्षतिपूर्ति को आंकलित करना संभव प्रतीत नहीं होता है। अतः वादीगण की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 14/9/0.1052 है0 वाके ग्राम सीलू पर वादीगण के खातेदारी अधिकारों की आमदरफत में व्यवधान को रोका जाना आवश्यक प्रतीत होता है।
1.	जब अतिक्रमण/व्यवधान /घुसपैठ इस प्रकार का हो कि नुकसान की आर्थिक भरपाई/क्षतिपूर्ति पर्याप्त राहत/संतुष्टि प्रदान नहीं करता हो।	1. प्रकरण में वादीगण की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 14/9/0.1052 है0 वाके ग्राम सीलू पर वादीगण के खातेदारी अधिकारों की आमदरफत में व्यवधान उत्पन्न नहीं करने हेतु प्रतिवादीगण को पाबंद नहीं किया जाता है तो भविष्य में वादीगण की निजी खातेदारी आराजी परखातेदारी अधिकारों की आमदरफत में प्रतिवादीगण द्वारा व्यवधान उत्पन्न करने से वादीगण को होने वाले कई प्रकार के प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष नुकसान की क्षतिपूर्ति हेतु आर्थिक मुआवजा दिया जाना न्यायसंगत प्रतीत नहीं होता है। अतः वादीगण की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 14/9/0.1052 है0 वाके ग्राम सीलू पर वादीगण के खातेदारी अधिकारों की आमदरफत में व्यवधान को रोका जाना आवश्यक प्रतीत होता है।
2.	जब इस तथ्य की संभावना हो कि अतिक्रमण/व्यवधान /घुसपैठ से होने वाले नुकसान की आर्थिक भरपाई/क्षतिपूर्ति की प्रदानगी संभव नहीं होगी।	
3.	जब निषेधाज्ञा राजस्व विवादों की बहुलता को रोकने हेतु आवश्यक हो।	1. प्रकरण में वादीगण की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 14/9/0.1052 है0 वाके ग्राम सीलू पर वादीगण की निजी खातेदारी आराजी परखातेदारी अधिकारों की आमदरफत में प्रतिवादीगण द्वारा व्यवधान उत्पन्न करने से

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.03.26 20:46:48 IST
Reason: SelfAttested

		रोकने का स्थाई निषेधाज्ञा का वाद लाया गया है। 2. अगर वादीगण की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 14 / 9 / 0.1052 है0 वाके ग्राम सीलू पर वादीगण के खातेदारी अधिकारों की आमदरफत में व्यवधान उत्पन्न नहीं करने हेतु पाबंद नहीं किया जाता है तो भविष्य में बेदखली के अनेक वाद न्यायालय में दायर होते रहेगें। 3. अगर वादीगण की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 14 / 9 / 0.1052 है0 वाके ग्राम सीलू पर वादीगण के खातेदारी अधिकारों की आमदरफत में व्यवधान उत्पन्न नहीं करने हेतु पाबंद नहीं किया जाता है तो भविष्य में मुआवजे के वाद न्यायालय में दायर होते रहेगें। 4. अगर वादीगण की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 14 / 9 / 0.1052 है0 वाके ग्राम सीलू पर वादीगण के खातेदारी अधिकारों की आमदरफत में व्यवधान उत्पन्न नहीं करने हेतु पाबंद नहीं किया जाता है तो भविष्य में उभयपक्षकारों के मध्य फौजदारी के प्रकरण सामने आ सकते है। अतः विवादों की बहुलता उत्पन्न होने की प्रबल संभावना प्रतीत होती है।

9\. इस प्रकार स्पष्ट है कि वादीगण की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 14 / 9 / 0.1052 है0 वाके ग्राम सीलू पर वादी का स्वामित्व व कब्जा साबित होता है। वादीगण की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 14 / 9 / 0.1052 है0 वाके ग्राम सीलू पर वादी का स्वामित्व व कब्जा साबित होने से सुविधा का सन्तुलन भी वादी के पक्ष में झुकाव रखता है। उक्त विवादित आराजी से प्रतिवादीगण का कोई संबंध व सरोकार नहीं है। साथ ही यदि प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण को उक्त आराजी से बेदखल किया जाता है तो वादीगण को नापूर्ति होने वाली क्षति साबित है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 की धारा–188 की उपधारा–2 में स्थाई निषेधाज्ञा जारी किए जाने हेतु चार परिस्थितियां भी वादी की खातेदारी आराजीपर खातेदारी अधिकारों की आमदरफत में व्यवधान को रोकने हेतु आवश्यक परिस्थितियां उत्पन्न होना इंगित करती है। प्रकरण में प्रतिवादी के जवाब के अवलोकन से भी स्पष्ट है कि प्रतिवादी ने उभय पक्षकारो की खातेदारी भूमि की पैमाईश तथा सीमांकन होने के पश्चात एक दूसरे की आराजी में दखल नहीं देने हेतु अभिकथन किया है। इस प्रकार अन्त में उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि वादीगण द्वितीय अनुतोष प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी है। अतः

आदेश है कि

वादी का वादपत्र स्वीकार किया जाकर वादीगण की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 14/9/0.1052 है0 वाके ग्राम सीलू तहसील गुड़ामालानी पर विधिवत सीमाज्ञान व खातेदारी आराजी [illegible] सीमांकन पश्चात प्रतिवादीगण को विधि[illegible] प्र[illegible]मान व प्रक्रिया का पालन किए बिना [illegible]दीगण की उक्त

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.03.26 20:46:48 IST
Reason: SelfAttested

खातेदारी आराजी पर कार्य काश्त में अर्थात फसल बोने—जोतने, काटने, लाने—ले जाने में रूकावट मजाहमत नहीं करने के साथ ही वादीगण की उक्त खातेदारी आराजी पर वादीगण को बेदखल करते हुए किसी भी प्रकार का निर्माण नहीं करने और कृषि भूमि को अकृषि नहीं बनाने हेतु स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाकर *डिक्री किया जाता है।*

निर्णय की पालना हेतु एक प्रति तहसीलदार गुड़ामालानी को भिजवायी जावें।

यह आदेश आज दिनांक 20.03.2025 को लिखवाया जाकर सरे—इजलास सुनाया गया एवं अधोहस्ताक्षकर्ता की मुहर व हस्ताक्षर से जारी किया गया।

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर
गुढामालानी—बाड़मेर

न्यायालय सहायक कलक्टर/उपखंड अधिकारी
सत्यमेव जयते
गुढ़ामालानी

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.03.26 20:46:48 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय
सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी
गुढामालानी–बाड़मेर

(पीठासीन अधिकारी –केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

वाद संख्याः–2021 / 230 दर्ज तिथिः–23.09.2021

1. भूरचंद पुत्र खीमराज
   जाति ओसवाल निवासी गुड़ामालानी तहसील गुड़ामालानी–बाड़मेर

.......................वादी

बनाम

1. चेनाराम पुत्र सिमरथाराम
   जाति भील निवासी सूजान नगर तहसील बाड़मेर जिला बाड़मेर
2. बाबूलाल पुत्र आम्बाराम
   निवासी बूल तहसील धोरीमना–बाड़मेर
3. राजूराम पुत्र टीकमाराम
4. रमेश पुत्र टीकमाराम
   जाति भील निवासी सुथारो की ढाणी तहसील धोरीमना–बाड़मेर

.................असल प्रतिवादीगण

5. तहसीलदार गुड़ामालानी–बाड़मेर।

..........................तकमीली प्रतिवादीगण

उपस्थित अधिवक्ता
वादीः– श्री पूनमाराम विश्नोई
प्रतिवादीगणः–एकतरफा

वादपत्र अन्तर्गत धारा–188
राजस्थान काश्तकारी अधि.–1955

–ःपर्चा डिक्रीः–

वादी का वादपत्र स्वीकार किया जाकर वादीगण की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 14/9/0.1052 है0 वाके ग्राम सीलू तहसील गुड़ामालानी पर विधिवत सीमाज्ञान व खातेदारी आराजी के सीमांकन पश्चात प्रतिवादीगण को विधिक प्रावधान व प्रक्रिया का पालन किए बिना वादीगण की उक्त खातेदारी आराजी पर कार्य काश्त में अर्थात फसल बोने–जोतने, काटने, लाने–ले जाने में रूकावट मजाहमत नहीं करने के साथ ही वादीगण की उक्त खातेदारी आराजी पर वादीगण को बेदखल करते हुए किसी भी प्रकार का निर्माण नहीं करने और कृषि भूमि को अकृषि नहीं बनाने हेतु स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाकर *डिक्री किया जाता है।*

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.03.26 20:46:48 IST
Reason: SelfAttested

यह पर्चा—डिक्री पालनार्थ हेतु तहसीलदार गुड़ामालानी को भिजवाई जावें। आदेश जारी हो। पक्षकारान अपना—अपना खर्चा स्वयं वहन करेंगे।

यह पर्चा—डिक्री आज दिनांक 20.03.2025 को मेरे द्वारा लिखवाई जाकर हस्ताक्षर एवं मुहर युक्त जारी की जाकर खुले न्यायालय में सुनाई गई।

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर
गुढामालानी—बाड़मेर

न्यायालय सहायक कलक्टर/उपखंड अधिकारी
सत्यमेव जयते
गुढ़ामालानी

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.03.26 20:46:48 IST
Reason: SelfAttested